न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/19/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/168

अपीलार्थी

श्री हरिओम शर्मा, सेवानिवृत्त ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव,
नि0 5/24, प्रज्ञा भवन, मस्जिद के सामने,
कजोडी मौहल्ला, खेडली, जिला–अलवर (राज.)–321606

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 10.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 22.02.2022 के माध्यम से स्वयं (पेंशनर) के लम्बित चिकित्सा भत्ता दावों के भुगतान के संबंध में सूचना चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांकः 14.03.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः 923 दिनांकः 25.04.22 मय संलग्नक, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में कोषाधिकारी, अलवर से सूचना प्राप्त कर पत्रांकः 398 दिनांकः 17.02.22 के माध्यम से सूचित किया जा चुका है, अपीलार्थी द्वारा अपील में उठाये गये तथ्य बेहद अस्पष्ट, विस्तृत, श्रमसाध्य होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)(बी) एवं धारा 7(9) के आलोक में देय नहीं है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 10.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

(शिवप्रसाद नकाते)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)